

प्रश्नक,

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदायकेन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 21 जून, 2005

विषय:- तक्षशिला पब्लिक स्कूल श्रद्धापुरी पेज-1, कंकरखेड़ा, भैरठ को सी 0बी 0एस 0ई 0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की और आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी 0बी 0एस 0ई 0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रातिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की प्रंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में महिला निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ 0 प्र 0 मा 0 शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि हाण्डयन स्कूल सटी फिनेट इक्वाय्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ 0 प्र 0 मा 0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

- 158 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 168 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 178 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 188 विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 198 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के मूल्यानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/शोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या क्षीणता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

§ शिवप्रकाश गुप्त §
संयुक्त सचिव ।

पू०सं०स्व० दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विधालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विधालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, तक्षशिला पब्लिक स्कूल श्रद्धापुरी फेज-1, कंकरखेड़ा, मेरठ ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

§ शिव प्रकाश गुप्त §
संयुक्त सचिव ।